न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 22/2018 ::

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
जोगाराम पुत्र आदाराम जाति सरगरा निवासी सोनाई मांजी, तहसील व जिला पाली (राज.)		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री अग्निमित्र चौहान
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 18-3-19

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, पाली के न्यायालय के प्रकरण संख्या 751/2017 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम जोगाराम आदेश दिनांक 12.0.2018 के विरुद्ध पेश की। अपील अपीलाण्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिए सम्मन तथा अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस पेश करते हुए वक्त बहस कथन किया कि पटवारी हल्का सोनाईमांजी ने ग्राम सोनाई मांजी के खसरा नम्बर 225 रकबा 68. 19 बीघा किस्म बारानी दोयम की आराजी में से 2.00 बीघा आराजी का पश्चातवृती अतिक्रमी मानते हुए मातहत अदालत में टी.पी. रिपोर्ट पेश की, जिस पर मातहत अदालत ने प्रकरण संख्या 751/2017 बअनवान सरकार बनाम जोगाराम दर्ज कर अपीलाण्ट को प्रोपर सुनवाई का अवसर दिए बगैर ही उसकी अनुपस्थिति में 50/– रूपये जुर्माना व बेदखली को आदेश व एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया। जो काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट उक्त आराजी पर पिछले 30–35 वर्षो से काबिज है तथा 10–15 वर्षो से मकान बना कर निवासरत है, जो रास्ते की भूमि से करीबन 100 फीट दूर है। उक्त आराजी से अपीलाण्ट को कभी भी अतिक्रमी घोषित नहीं किया गया, जबकि रेस्पोडेण्ट तहसीलदार ने अपीलाण्ट को पटवारी की रिपोर्ट पर पश्चातवृती अतिक्रमी मानते हुए अपीलाण्ट के विरूद्ध जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.01.2018 को अपीलाण्ट जोगाराम को हस्ताक्षर करा कर बिना तारीख पेशी दिए भेज दिया तथा उसके पश्चात उसी दिवस की तारीख पेशी दे दी गई एवं उसी दिवस पुनः पत्रावली सुनवाई पर ली जिसमें अपीलाण्ट को अनुपस्थित घोषित कर अतिक्रमण हटाने व जवाब हेतु अन्तिम अवसर देते हुए पत्रावली दिनांक 12.01.2018 को नियत कर दी तथा दिनांक 12.01.2018 को अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिए निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट को उक्त आराजी से बेदखल करते हुए एक माह की अवधि के सिविल कारावास का आदेश पारित कर दिया। जो नियम विरूद्ध होने से काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट एक सद्भाविक व्यक्ति है, जो गरीब मजदूर, भूमिहीन,

जिला कलेक्टर, पाली

अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जो अपने परिवार सहित उक्त मकान व बाड़ा में निवासरत है, अपीलाण्ट का उक्त आवास के अलावा अन्य कोई मकान नहीं है। जिससे उसके द्वारा उक्त मकान हटाया जाना संभव नहीं है, जिससे उक्त मकान व बाड़ा की भूमि को आबादी क्षैत्र में शुमार करने की अनुशंषा करावें तथा भूमि अपीलाण्ट के नाम नियमन करावें। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया जावें।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि पटवारी हल्का सोनाईमांजी ने ग्राम सोनाई मांजी के खसरा नम्बर 225 रकबा 68.19 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता की आराजी में से 2.00 बीघा आराजी पर पक्का कमरा व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलाण्ट द्वारा वर्ष 2017 में भी अतिक्रमण किया गया था, जिसके लिए इस वर्ष अतिक्रमण करने पर पश्चातवृती अतिक्रमण किया जाना मानते हुए मातहत अदालत में टी.पी. रिपोर्ट पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कायम कर न्यायालय में उपस्थित होने बाबत अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया एवं सम्पूर्ण सुनवाई का मौका दिया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया। जो विधी सम्मत है। जैर अपील आराजी आबादी भूमी नहीं होकर, गै.मु. रास्ते की भूमी होना राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रैणी की भूमि होने से रास्ते की आराजी का नियमन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में बार–बार अतिक्रमण करने पर मातहत न्यायालय द्वारा अतिक्रमित आराजी के लगान का 50 गुणा जुर्माना आरोपित करते हुए अतिक्रमित आराजी से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश के साथ ही एक माह के सिविल कारावास की सजा दी गई है, जो अतिक्रमण करने की प्रकृति को रोकने के उद्देश्य से की गई है, जो विधी सम्मत होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा ग्राम सोनाईमांजी के खसरा नम्बर 225 कुल रकबा 68 बीघा 19 बिस्वा में से रकबा 02.00 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर पक्का कमरा व बाड़ा का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 751/2017 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के दर्ज कर, जरिये नोटिस के उसको तलब कर सुनवाई का मौका देने के पश्चात दिनांक 12.01.2018 को मातहत अदालत द्वारा उनको अतिक्रमी घोषित करते हुए 50/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने के साथ ही एक मास के साधारण कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 05.03.2018 को एक शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसमें उसने उल्लेख किया कि चार दिन बाद अतिक्रमण हटा दूंगा, लेकिन हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 11.04.2018 के अनुसार जैर अपील आराजी पर बाड़ हटा दी गई है मगर एक अर्द्धपक्का कमरा अभी भी निर्मित है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट आदतन अतिक्रमी है एवं अतिक्रमण हटाने की मंशा नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा करीब 2.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के पैरा संख्या 7 में कथन किया है कि अपीलाण्ट उक्त आराजी पर करीब 30–35 वर्षो से काबिज है

जिला कलेक्टर, पाली

तथा उस पर उसने 10–15 वर्षो से मकान का निर्माण करा रखा है तथा उन्होनें यह भी कथन किए कि उक्त आराजी से अपीलाण्ट कब्जा हटाने में असमर्थ है तथा उक्त आराजी को अपीलाण्ट के हक में नियमन कर दिया जावें। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलाण्ट अतिक्रमित आराजी से अतिक्रमण हटाने की मंशा नहीं रखता है। जबकि जैर अपील आराजी गैर मुमकीन रास्ते की भूमि है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रैणी में होने से उसका नियमन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में बेदखली के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। अपीलाण्ट अतिक्रमण हटाने के किसी भी स्थिति में रजामंद नहीं है, उसके द्वारा मातहत अदालत में शपथ पत्र पेश किया, उसके मुताबिक भी अतिक्रमण नहीं हटाया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरुप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार, पाली के न्यायालय के प्रकरण संख्या 751/2017 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम जोगाराम में पारित जैर अपील आदेश 12.01.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ प्राप्त मूल रेकर्ड तहसीलदार, पाली को भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/3/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली